

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.-074423258

GCMS NO.-2003/00017

मिसल नम्बर-409/2006

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

-प्रार्थी

बनाम

1. नूर मोहम्मद पुत्र मुख्तार अहमद
 2. नफीसा, फातीमा जोजे अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासीगण श्रीपुरा कोटा
 3. कमलादेवी पत्नी द्वारका प्रसाद गोयल जाति महाजन निवासी शोपिंग सेन्टर कोटा
- अप्रार्थी।

-:निर्णय:-

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थनापत्र।)

दिनांक 24/12/24

उपस्थिति:-

1.सरकार पैरोकार

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेपित तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण के खाते जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 के अनुसार ग्राम सकतपुरा में खसरा नम्बर 227 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 228 रकबा 13 बिस्वा कुल 1 बीघा 15 बिस्वा आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त नम्बरों के नए नम्बर खसरा नम्बर 227/643 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 227/644 रकबा 0.40 है0 कुल रकबा 0.80 है0 बनाये गये। जबकि सेटलमेंट पूर्व के रकबे 01 बीघा 15 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली के अनुसार 0.28 है0 बनता है। भू प्रबंध विभाग द्वारा अप्रार्थीगण के खाते 0.52 है0 रकबा अधिक दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 227/643 रकबा 0.40 है0 में से 0.26 है0 तथा खसरा नम्बर 227/644 रकबा 0.40 है0 में से 0.26 है0 कुल 0.80 है0 में से 0.52 है0 भूमि वाके ग्राम सकतपुरा को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल



उपखण्ड अधिकारी
कोटा

मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 संलग्न किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। वर्तमान में तहसीलदार लाडपुरा से मौका रिपोर्ट पुनः प्राप्त की गई।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 227/643 रकबा 0.40 है0 एवं खसरा नम्बर 227/644 रकबा 0.40 नगर विकास न्यास कोटा (धारा 90बी) आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है उक्त खसरा नम्बरान में प्लानिंग कटी हुयी है तथा घनी आबादी बसी हुई है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर प्लानिंग कट चुकी है तथा आबादी बसी हुयी है। हमारे विनम्र मत में हस्तगत आराजी के आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज होने तथा मौके पर आबादी बसी होने के कारण वर्तमान में इस न्यायालय को प्रकरण में निर्णय पारित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। अतः प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि भू प्रबंध के दौरान रकबे में हुए किसी भी परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में चारा जोरी करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा
कोटा